



बिहार पुलिस मुख्यालय  
(विशेष कार्य बल)  
दिनांक-25.10.2024



गोपालगंज जिला के खाद एवं बीज भंडार दुकान के मालिक पवन कुमार सिंह से रंगदारी मांगने एवं गोली चलाने की घटना में शामिल दो अपराधकर्मी अवैध आग्नेयास्त्र के साथ गिरफ्तार

- आज दिनांक 25.10.24 को बिहार एस0टी0एफ0 की विशेष टीम एवं गोपालगंज जिला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में गोपालगंज जिला के थावे थाना क्षेत्र स्थित खाद एवं बीज भंडार के मालिक पवन कुमार सिंह से रंगदारी एवं गोली कांड में वांछित अपराधकर्मी 1. अरुण कुमार राय, पे0 स्व0 ललन राय सा0 सेलार कला थाना0 फूलवरिया जिला गोपालगंज एवं 2. मनु कुमार पे0 सुदर्शन मांझी सा0 उजरा नारायणपुर थाना0 उचकागांव जिला गोपालगंज को थावे थाना क्षेत्र से अवैध आग्नेयास्त्र के साथ छापामारी कर गिरफ्तार किया गया।
- बरामदगी –
  1. देशी पिस्टल –02
  2. जिन्दा कारतूस –07
  3. मोटरसाइकिल –01 (घटना में प्रयुक्त)
- उल्लेखनीय है कि उक्त अपराधकर्मियों द्वारा दिनांक 21.10.2024 को थावे (गोपालगंज) स्थित खाद एवं बीज भंडार मालिक से पच्चास लाख रुपये रंगदारी की मांग की गई एवं नही देने पर फायरिंग की गई थी, जिसमें पवन कुमार सिंह घायल हो गए थे।
- इस संदर्भ में थावे थाना कांड संख्या 289/24 दिनांक 22.10.24 धारा 126(2)/115(2)/109/351/308(5)/3(5) BNS एवं 27 आर्म्स एक्ट दर्ज किया गया है।



STF